बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अल्पकालीन आवश्यक विज्ञप्ति – 113/2023

नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन सचिवालय सहायक के रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत्त सचिवालय सहायक का संविदा आधारित नियोजन की सूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन सचिवालय सहायक के 61 रिक्त पदों के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के आलोक में सेवानिवृत सचिवालय सहायक के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय Email-recruitment.udhdbihar@gmail.com पर दिनांक–13.01.2023 से 27.01.2023 के अपराह्न 05:00 बजे तक विहित प्रपत्र में (अनुलग्नक सहित) आवेदन (Pdf में) आमंत्रित किया जाता है :–

पद का नाम	कोटिबार रिक्तियाँ			अहर्त्ता	मासिक मानदेय
	आरक्षण कोटि	संख्या	महिला के लिए क्षैतिज आरक्षित पदों की संख्या		
सचिवालय सहायक	अनारक्षित	15	10	सचिवालय सहायक के पद पर सेवानिवृत्त (Retired) सचिवालय सहायक का सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के **संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015** में निहित प्रावधान के अन्तर्गत।	सेवानिवृत (Retired) सचिवालय सहायक को मासिक मानदेय के रूप में उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+ सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
	अनुसूचित जाति	06	03		
	पिछड़ा वर्ग	05	02		
	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	07	04		
	अनुसूचित जनजाति	01	00		
	पिछड़े वर्गो की महिला	02	00		
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	05	01		
	कुल–	41	20		

2. उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक–27.01.2023 के अपराह्न 05:00 बजे तक से पूर्व आवेदन समर्पित किया जायेगा, उन सभी अभ्यर्थियों का दिनांक–10.02.2023 के अपराह्न 02:00 बजे प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष में साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जहाँ उनका प्रत्यक्ष / विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा।

3. नियोजन हेतु शर्तें निम्नवत् होंगी :–

3.1 संविदा के आधार पर नियोजन प्रथमतः 2 (दो) वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने (दोनों में जो पहले हो) तक के लिए किया जायेगा। संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक के लिए एक–एक वर्ष की सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में 67 वर्ष तक सेवा अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

3.2 आरक्षण कोटि के विरूद्ध आवेदन करने वाले को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3.3 सेवानिवृत्ति और संविदा नियोजन के बीच वेतन / पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

3.4 वैसे अभ्यर्थी जिनपर कोई निगरानी का मामला / विभागीय कार्यवाही / गंभीर आरोप विचाराधीन / दण्ड अधिरोपित हो / आपराधिक मामला दर्ज हो, की सेवाएँ नहीं ली जाएँगी।

3.5 पी0पी0ओ0 की प्रति संलग्न करनी होगी। यदि पी0पी0ओ0 उपलब्ध नहीं हो तो प्रशासी विभाग द्वारा निर्गत पेंशन / उपादान संबंधी स्वीकृत्यादेश की प्रति अभ्यथी संलग्न कर सकते है।

4 विज्ञापन एवं शर्त्तो से संबंधित किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही Empanelment की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

5 आवेदन करने हेतु विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/urban के Notice Board पर उपलब्ध है।

6 विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/urban देखा जा सकता है।

सरकार के अवर सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।